

06/03/15

आदेश

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपरिथत। अप्रार्थीगण एकतरफा। वकील प्रार्थीगण की वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा अलाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बांदरा के खेत खसरा नम्बर 874/582 रकबा 20.00 बीघा की आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि में रहवासी ढाणी, टांके, मंवेशियों के बाड़े एवं बने हुए है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पुरानी माटों में पेड़-पौधे लगे हुवे है एवं पुरानी माटे बने हुवे है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 झगड़ालू प्रवृत्ति के होने के कारण पंजीबद्ध बेचान की आड़ में बलपूर्वक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जे काश्त में रूकावटें पैदा करते है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा बलपूर्वक बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा बलपूर्वक बेदखल किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पंजीबद्ध बेचान की आड़ में बलपूर्वक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जे काश्त में रूकावटें पैदा करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी, उसे रोकना आवश्यक समझते है।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा अलाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बांदरा के खेत खसरा नम्बर 874/582 रकबा 20.00 भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 03, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर
(SRO), वाडमेर

